

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक: 2076 OSMF revisepayment 464

नाक: 18/09/2020

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: R/AS/AGRI/2076/CHI/0001770

13-10-2020

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2076 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 9327-70 दिनांक 06.11.19 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2076 (खरीफ-2019) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
भदोसर	56	Other Than SMF	50%-75%	714136
गंगरार	111	Other Than SMF	50%-75%	908949
रावतभाटा	226	Other Than SMF	50%-75%	2460185
बड़ी सादड़ी	63	Other Than SMF	50%-75%	856800
बेगुं	6	Other Than SMF	50%-75%	81600
चित्तौड़गढ़	264	Other Than SMF	50%-75%	3159892
निम्बाहेड़ा	248	Other Than SMF	50%-75%	3228572
योग	974			11410134

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-2021 में कृषकों हेतु 2245-02-114-10-01-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

-82
जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़